International Journal of Home Science 2020; 6(2): 200-201

International Journal of Home Science

ISSN: 2395-7476
IJHS 2020; 6(2): 200-201
© 2020 IJHS
www.homesciencejournal.com
Received: 22-03-2020
Accepted: 24-04-2020

डॉ. कुमारी रेखा
सहायक प्राध्यापक, गृहविज्ञान विभाग,
विशेश्वर दयाल महिला कॉलेज, छपरा,
बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ. कुमारी रेखा
सहायक प्राध्यापक, गृहविज्ञान विभाग,
विशेश्वर दयाल महिला कॉलेज, छपरा,
बिहार, भारत

समाज में बढ़ते घरेलु हिंसा, कारण एवं निवारण

डॉ. कुमारी रेखा

सारांश
आज समाज में महिलाओं को अनेक अधिकार निर्बधित रूप से प्राप्त हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। अवश्य ही हो रहा है आज समाज में महिलाओं के प्रति अपराध और शोषण निरतंर बढ रहे हैं। प्रचीन समय में भारत में महिलाओं की स्थिति और अधिकार सुनिश्चित थे, जो उन्हें स्वयमेव ही प्राप्त हो जाते थे परंतु आज की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। कि आज महिलाओं को उन्हीं के अधिकार व सम्मान दिलाने हेतु संविधान व कानून का सहारा लेना पड़ता है। अतः आज आवश्यकता है नवीन मानसिकता की क्योंकि सिर्फ नित नूतन कानूनों का सृजन ही इस समस्या का समाधान प्रदान नहीं कर सकता है। उदाहरणार्थ एक कानून बनाकर कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या को तो रोक दिया गया परंतु यह सोचनीय तथ्य है कि जन्म के बाद से एक लड़की को लड़की होने के नाते आजीवन दी जाने वाली पल पल की मौत/पीडा को क्या कोई कानून रोक पाया है? नहीं क्योंकि इसे केवल नवीन मानसिकता ही रोक सकती है, कोई कानून नहीं।

भूमिका
भारतीय संस्कृति में आदिकाल से ही महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। यदि हम अपने वेद–पुराण आदि का अध्ययन करें तो पायेंगे कि ये अतीतकालीन ग्रंथ महिलाओं की गौरवशाली महिमा का ही व्याख्यान करते हैं तथा महिलाओं के पूज्यनीय स्वरूप को परिलक्षित करते हैं, परन्तु आज के समय में समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध व शोषण उनकी अतीतकालीन गरिमा को धूमिल करते नजर आ रहे है। आज का युग महिला सशक्तीकरण का युग है। आज देश के अधिकाशंतः प्रमुख राजनीतिक व प्रशासनिक तथा अन्य पदों पर महिलाये आसीन है, जिससे महिला सशक्तीकरण की धारणा को पर्याप्त बल मिला है, परन्तु फिर भी क्या इससे सामान्य महिला वर्ग की सामाजिक या पारिवारिक स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव दृष्टिगत होता है? क्या इसके द्वारा प्रत्येक क्षेत्र तबके की महिलाओं के जीवन स्तर में सकारात्मक व विकासात्मक परिवर्तन आये है? ऐसा नहीं है।

आज आवश्यकता है महिलाओं की जागरूकता की चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र हो या पारिवारिक क्षेत्र क्योंकि जब तक महिलाये स्वयं अपने अधिकारो के प्रति सजग नहीं होगी, तब तक केवल महिला अधिकारो संबंधी उपबंधों के निर्माण और महिला सशक्तीकरण की अवधारणा मात्र से महिलाओं को अपने अधिकारों के हनन व अत्याचारों से मुक्ति मिलना असंभव है। महिला सजगता के साथ ही आज देश को आवश्यकता है एक ऐसी उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली की, जिसके माध्यम से उच्च मानवीय मूल्यों व नैतिक आदर्शो की स्थापना की जाए तथा महिलाओं को उनके अधिकार का ज्ञान दे सके।

महिला और पुरूष होने से पहले हम मानव और सभी मानव अधिकार संपूर्ण मानव जाति को प्राप्त हैं। यही बात महिलाओं के लिए भी लागू होती है क्योंकि महिलाये भी मानव समूह में ही आती है अतः महिलाओं को भी सभी मानव अधिकार बिना किसी विभेद के प्राप्त है। पर यहॉ सवाल ये उठता है कि क्या महिलायें इस समाज में अपने मानव अधिकारों का उपयोग कर रही हैं? क्या वे घर के भीतर, सड़क पर चलते समय, ऑफिस या अन्य कार्यस्थल पर स्कूल या कोचिंग से आते–जाते समय, बस ट्रेन ऑटों आदि में यात्रा करते समय स्वयं को उतना स्वतंत्र या सुरक्षित महसूस करती हैं, जितना पुरूष वर्ग करता हैं, जिस तरह पुरूष आधी रात को भी बाहर जा सकते हैं क्या उस तरह कोई महिला रात के 10 बजे भी किसी जरूरी काम से निश्चित होकर बाहर जा सकती है? नहीं। ऐसा क्यों है? माना कि ये एक पुरूष प्रधान समाज है, पर पुरूष प्रधान समाज का मतलब ये तो नहीं है कि महिलाओं को परिवार और समाज में निर्भय होकर जीने का अधिकार नहीं, स्वतंत्रतापूर्ण गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार नहीं।

समाज में किस तरह की विक्रतियॉ फैल रही है। महिलाओं के प्रति किस प्रकार के अपराध गठित हो रहे हैं। दृष्कृत्य जैसे अपराध दिन दुगने रात चौगुने बढ़ रहे है। अक्सर लोग ये कहते है कि ऐसे मामलों में कई बर महिलाओं की भडकाऊ वेशभूषा और व्यवहार भी उत्प्रेरक का काम कर देते है और कुछ हद तक, कुछ मामलों में ये सहीभी है, लेकिन दुष्कृत्य की जो घटनाये ढाई साल 4 साल व 9 साल की उम्र जैसे बच्चीयों के साथ घटित हो रही हैं उन को देखकर समाज की मानसिक विकृत अवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है।देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को हुई घटना ने सारे देश को झकझोर दिया। ये मानसिक विकृति नहीं, तो और क्या है। देश, कानून, समाज, परिवार, प्रत्येक जगह महिला को समानता का दर्जा देने के बाद भी यह कैसे भयानक माहौल का निर्माण होता जा रहा है।

महिलाओं के लिए, जहॉ महिलाये हर वक्त भय और आशंका के साये में जीती रहें। आखिर वे कौन सी वजहें हैं, कि अपराधी इस हद तक गिरने में जरा भी नहीं डरते और एक के बाद एक घटनाये लगातार घटती ही रहती है। जबकि ऐसा भी नही है कि भारतीय संविधान महिलाओं के प्रति हिंसा के मामलों में मौन है नहीं भारतीय संविधान में महिलाओं को पर्याप्त अधिकार दिए गए है और पुरूषों के समान ही दर्जा प्रदान किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता दण्ड प्रक्रिया संहिता आदि में महिलाओं के प्रति विभिन्न अपराध करने वाले अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है लेकिन फिर भी घर से लेकर दहेज, उत्पीडन, छेडछाड, बलात्कार, कार्यस्थल पर शोषण और उत्पीड़न आदि जैसी विभिन्न घटनाये आऐ दिन घटित होती रहती है यद्यपि समाज में ऐसी बढ़ती घटनाओं को देखते हुए फास्ट ट्रेक कोर्ट, बलात्कार की घटनाओं संबंधी मुकदमों की सुनवाई महिला न्यायाधीशों द्वारा किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। जिससे एक समय के बाद समाज में परिवर्तन आएगा भी पर आज तो कोई खास अंतर नजर नहीं आ रहा।

हमारा समाज आज एक ऐसे दलदल में फसता जा रहा है, जिसका अगर समय रहते उपाय नहीं किया गया तो एक दिन पूरा समाज विकृत होकर इसमें डूब जाऐगा।

महिलाओं के स्वतंत्रतापूर्वक सम्मानजनक जीवन जीने, अमानवीय व्यवहार और यंत्रणा से मुक्ति, समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार (भ्रूण हत्या) कार्य करने व रोजगार स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसे कितने ही अधिकारों का हनन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है।

महिलाओं के विरुद्व हिंसा व हिंसात्मक व्यवहार को समाप्त करने सम्बन्धी समझौते से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र समिति (सी.ई.डी.ए. डब्ल्यू) ने 1989 में अपनी सामान्य सिफारिशों में कहा था कि राष्ट्रों को महिलाओं की सभी प्रकार की हिंसा, विशेषकर परिवार में होने वाली हिंसा से रक्षा के उपाय करने चाहिए। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार जब कोई महिला अपने पति या सम्बन्धियों के अत्याचार का शिकार होती है तो इसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–ए के तहत अपराध माना जाता है। लेकिन सिविल कानून में इस समस्या से समग्रता के साथ निपटने का प्रावधान नहीं था। इसलिए संविधान के अनुच्छेद – 14,15 और 21 के अन्तर्गत गारंटीकृत अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाना जरूरी समझा गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होने से बचाना और साथ ही समाज में घरेलू हिंसा की रोकथाम करना है। यह विधेयक पारित होने से यू.पी.ए. सरकार द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत महिलाओं के लिए किया गया वह वायदा पूरा हुआ है, जिसमें उन्हें घरेलू हिंसा और लिंगभेद से मुक्ति दिलाने की बात कही थी। भारत में महिलाओं के साथ समानता एक ऐसी धारणा है, जिसका वायदा संविधान में किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे पूरी–तरह भिन्न है। महिलाओं के साथ आर्थिक और सामाजिक दोनों की दृष्टियों से भेदभाव निरंतर जारी है। हाल में समाप्त हुए संसद के सत्र में दोनों सदनों द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 पारित किए जाने से देश की स्वतत्रंता के 58 वर्ष बाद यह संभव हुआ है कि महिलाऐं पैतृक सम्पत्ति में हक का कानूनी दावा कर सकती हैं। इसी प्रकार महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के बारे में नया कानून बनाना भी इस बात का प्रमाण है कि देश को इस अमानवीय कलंक से मुक्ति पाने में लंबे अरसे तक इंतजार करना पड़ा। विधेयक में उन महिलाओं को संरक्षण देने का प्रावधान है जिसका संबंध शोषणकर्ता के साथ एक परिवार के रूप में इकट्ठे रहना हो और उनके बीच समरक्तता, विवाह द्वारा संबंध हो या विवाह या अंगीकरण के रूप में संबंध हो। इसके अतिरिक्त संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्यों के रूप में संबंध को भी इसमें शामिल किया गया है।

नये कानून में उन महिलाओं को भी कानूनी संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है, जो बहनें, विधवायें, माताऐं, अकेली रहने वाली महिलायें या शोषणकर्ता के साथ रहने वाली हो। किन्तु कानून में जहाँ पत्नी या वैवाहिक संबंध के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार दिया गया है, वहीं इसमें पति या पुरूष भागीदार के किसी महिला संबंधी को पत्नी या महिला भागीदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। इस बिल में 'घरेलू हिंसा' को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत वास्तविक शोषण या शोषण करने की धमकी या शारीरिक, यौनिक, मौखिक, भावात्मक या आर्थिक शोषण को शामिल किया गया है। महिला या उसके संबंधियों से की गई दहेज की माँग के जरिए तंग किये जाने को भी इस परिभाषा में स्थान दिया गया है। इस कानून में महिलाओं को ससुराल के मकान या साझा मकान में रहने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है, भले ही ऐसा मकान या आवास उसके नाम हो या न हो। इस अधिकार को निवास आदेश के प्रावधान द्वारा संरक्षित किया गया है, जो मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाएगा। इसमें मजिस्ट्रेट को पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में संरक्षण आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया है, ताकि प्रतिवादी को घरेलू हिंसा में सहायता करने या स्वयं हिंसा में लिप्त होने या कोई अन्य विशेष कार्य करने, पीड़ित व्यक्ति के कार्यस्थल या किसी अन्य स्थल पर प्रवेश करने में प्रतिवादी को रोकने, पीड़ित व्यक्ति के कार्यस्थल या किसी अन्य स्थल पर प्रवेश करने में प्रतिवादी को रोकने, पीड़ित महिला से सम्पर्क करने का प्रयास करने, दोनों पक्षों द्वारा इस्तेमाल की गई परिसम्पत्तियों पर कब्जा करने और पीड़ित व्यक्ति, उसके संबंधियों या घरेलू हिंसा से बचने में उनकी सहायता करने वालों की हिंसा से क्षति पहुँचाने से रोका जा सके। अधिनियम में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति और गैर सरकारी संगठनों को सेवा प्रदाता के रूप में संतृप्त व्यक्ति को सहायता पहुँचाने के लिए पंजीकृत करने का भी प्रावधान है। पीड़ित व्यक्ति को पहुँचने वाली सहायता के अन्तर्गत चिकित्सा जाँच, कानूनी सहायता प्राप्त करना, सुरक्षित निवास की व्यवस्था करना आदि शामिल है।

24 अगस्त, 2005 को लोकसभा में विधेयक पर बहस का जबाव देते हुए केन्द्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री सुश्री कांति सिंह ने आश्वासन दिया कि प्रस्तावित कानून से परिवार के भारत के समीकरण प्रभावित नहीं होंगे। विधेयक के बारे में उनका कहना था कि इसका लक्ष्य महिलाओं को अधिकारिता प्रदान करना और उन्हें हिंसा के दुष्चक्र से मुक्ति दिलाना है, न कि किसी एक व्यक्ति से। संरक्षण अधिकारी के चयन के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा करते समय अत्यधिक सावधानी बरती जाएगी, क्योंकि प्रस्तावित कानून की सफलता में उनकी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होगी।

निष्कर्ष

महिला वह नींव है, जिस पर संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का ताना–बाना टिका है। एक ओर वह अबला है तो दूसरी ओर शक्तिस्वरूपिणी दुर्गा तथा वीभत्सरूपिणी चण्डी भी हैं। वह सती भी महिला ही थी यो यमराज से अपने पति के प्राण वापस लें आई थी। ऐसी शक्तिस्वरूप स्त्री को अबला या पराश्रित कहना सर्वथा अनुचित है यदि स्त्री अपने पति के प्राण, यमराज से वापस ला सकती है तो वही स्त्री अपने अधिकारों की आवाज अपने ही समाज व परिवार में बुलंद क्यों नहीं कर सकती। ऐसे कई अवसर आये है। जब स्त्री ने इसी पुरूष प्रधान समाज में अपनी शक्ति का प्रयोग व प्रदर्शन कर समाज व देश में एक मिसाल कायम की है। जो स्त्री अपने पति व परिवार के लिए सबकुछ त्यागकर अपना सर्वस्व हंसते हुए बलिदान कर सकती है, क्या वही स्त्री इतनी कमजोर है कि वह अपने ही देश अपने ही समाज और अपने ही परिवार में अपने अधिकारों की मांग करने से हिचकिचाती है अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? यदि समाज में भी जर्जर हो चुकी रूढ़ियों और परम्पराओं के नाम पर स्त्री को अनुचित यातना और पीड़ा भोगने को भाग्य और प्रारब्ध का खाका पहनाकर मुस्कुराने को बाध्य करता है तो फिर आज आवश्यकता है आंदोलन की, एक बदलाव की ओर महिलाओं के अधिकारों और दायित्वों को पुनःपरिभाषित करने की।

संदर्भ सूची

1. अन्यवाल, के. वयस्क पतियों की तन्हा बीबियॉ, मेरी सहेली, 2006
2. घरेलू हिंसा क्रोनिकल मासिक पत्रिका, 2014
3. गृह लक्ष्मी, मई 2013 दिक्षित, एम0, 2003
4. बेटियों की परवरिश और भारतीय मानसिकता, मेरी सहेलीयां
5. डॉ0 गुप्ता चन्द्र सुभाश एंव डॉ0 सक्सेना अल्का परिवारिक प्रताड़ना एंव महिलाएं राधा पब्लिकेशन्स 4231/1 अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली–110002।
6. मित्तल, द्वारिका नाथ दि पोजीशन ऑफ वूमेंन इन हिन्दु लॉ
7. मुखर्जी एंव नाथ, सामाजिक सर्वेक्षण व ॉोध, सरस्वती सदन, दिल्ली, सामाजिक शोध एवं सांख्यकीय।
8. सरिता (पत्रिका) जुलाई 2013 सरिता पत्रिका नवम्बर द्वितीय, 2013